संशोधन

संख्या- 03 /2025 / 3961 /चार-2024-1760669

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2025**

विषय- जनपद कुशीनगर में रामजानकी मठ भूमि पर सार्वजनिक रामलीला मैदान में बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 410/2024/3745/चार-2024-1760669 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- 3856/सं0नि0-6(40)/2023-24 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 तथा शासनादेश संख्या-410/2024/3745/चार-2024-1760669 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में शासनादेश संख्या- 410/2024/3745/चार-2024-1760669 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों में बिन्दु संख्या-(5) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 410/2024/3745/चार-2024-1760669 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
7. मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम/ तृतीय), सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-19, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर।
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in